

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
झाँसी।

सेवा में,

प्रबंधक

एकेडमिक हाईटस पब्लिक स्कूल

डिमलौनी, मऊरानीपुर।

पत्रांक : मान्यता /

10362-65

/ 2018-19 दिनांक 15-12-18

विषय—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए अंग्रेजी माध्यम मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 21.08.2018 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ति पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मण्डलीय मान्यता समिति द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार मैं एकेडमिक हाईटस पब्लिक स्कूल डिमलौनी, मऊरानीपुर को तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 01 से 08 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन है :—

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय में एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन होगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा
 - (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा:
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जाएगा:

5

Li-

- (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की अपेक्षा नहीं की जायेगी:
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण - पत्र प्रदान किया जायेगा :
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्ता ग्रस्त / विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भी भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे :
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
 8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं—
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल
प्राध्यापक सह कार्यालय सह भंडागार के कक्ष
बालक और बालिकाओं के पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड डे मील पकाने के लिए रसोई
बाधारहित पहुंच
अध्यापन पठन सामग्री / कीड़ा खेलकूद उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता
 9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
 10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
 11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है
 12. स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
 13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
 14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 17/18 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
 15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिए अनुदेशों का पालन करता है। जो मान्यता संबंधी शर्तों के संतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाए।

6

17/18

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
17. विद्यालय की रंगाई पुताई प्रत्येक दो वर्ष सुनिश्चित की जायेगी, तथा विद्यालय भवन का बाह्य रंग सफेद होना चाहिये।
18. विद्यालय में एन0सी0ई0आर0टी0 एवं परिषद द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही पढ़ाई जायेंगी।
19. प्रशिक्षित अध्यापक ही रखे जाये।
20. विभागीय आदेशों की अवहेलना करने पर मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
झाँसी।

पृ0सं0 / / 2018-19 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बे0) झाँसी मण्डल, झाँसी।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी, झाँसी।
3. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी,।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
झाँसी।



Office of the District Basic Education Officer
JHANSI

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **Academic Heights Public school**, **Village Dhimlauni Mauranipur jhansi** is permanently recognized for Pre-Primary, Primary and Junior School(class 1 to 8). The Recognition number allotted to Academic Heights Public school is **17/18**. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

28-06-2022(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

Old

4. School Type

Pre-Primary, Primary and Junior School

5. Recognition No.

DATE:- 28-06-2022

District Basic Education Officer

PLACE:- JHANSI